न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(बईजलास श्री भंवर लाल मेहरा, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

क्रमांक : अपील आर्म्स एक्ट 13/2013/(2013/00101)टोंक

अनिरूद्ध सिंह पुत्र श्री राजराजेश्वर सिंह जाति राजपूत निवासी फूलेता तहसील उनियारा जिला टोंक।

अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, टोंक।

प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत नियम 18 आयुद्य अधिनियम 1959
विरूद्व आदेश जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, टोंक
दिंनाक 08–7–2013

————

उपस्थितः 1– श्री हेमराज गुप्ता अभिभाषक अपीलार्थी
2– श्री राजेश टण्डन, राजकीय अभिभाषक प्रत्यर्थी

निर्णय

दिनांक : 06–02–2023

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ग्राम फूलेता तहसील उनियारा का निवासी है जिसका पेशा कृषि कार्य है तथा खेतो पर रहने के कारण जंगली जानवरो से खतरा बना रहता है इसलिए आयुद्ध अधिनियम के तहत एक प्रार्थना पत्र दिनांक 17–12–2012 को नवीन शस्त्र अनुज्ञा पत्र बनवाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जिसे जिला मजिस्ट्रेट, टोंक द्वारा अपने आदेश दिनांक 8–7–2013 को निरस्त कर दिया। अपीलार्थी द्वारा जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, टोंक के आदेश दिनांक 8–7–2013 से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील Sub-to-limitation दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये तथा संबंधित अभिलेख तलब किया गया। दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा मियाद अधिनियम की धारा–5 पर अपीलांट की ओर से पक्ष रखते हुए कथन किया कि जिला मजिस्ट्रेट टोंक द्वारा अपीलार्थी को किसी तरह का नेाटिस नहीं दिया गया इसलिए अपीलार्थी को उक्त आक्षेपित आदेश की कोई जानकारी नहीं थी। अपीलार्थी जब जिला मजिस्ट्रेट, टोंक के कार्यालय में दिनांक 22–8–2013 को अपने शस्त्र अनुज्ञा पत्र की जानकारी करने पहुंचा तो जानकारी हुई कि उसका शस्त्र अनुज्ञा पत्र का प्रार्थना पत्र दिनांक 8–7–2013 को निरस्त कर दिया गया है जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु दिनांक 22–8–2013 को आवेदन किया जिस पर उसी दिन नकल प्राप्त कर दस्तावेजात संलग्न कर जानकारी दिनांक से अविलम्ब अपील माननीय न्यायालय में प्रस्तुत की गई। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब सद्भाविक कारणों के रहते हुआ है, इस कारण देरी को क्षमा किया जाकर प्रस्तुत अपील को अन्दर मियाद किये जाने हेतु निवेदन किया।

प्रत्यर्थी जिला मजिस्ट्रेट टोंक के राजकीय अधिवक्ता द्वारा अपीलार्थी अधिवक्ता की मियाद के बिन्दु पर बहस का जवाब देते हुए निवेदन किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत मियाद अधिनियम की धारा–5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जावे। मियाद हेतु छूट चाहने बाबत कोई ठोस कारण अंकित नहीं किया गया है। मियाद में छूट चाहने बाबत ठोस कारण अंकित करने चाहिए थे। मियाद में छूट चाहने हेतु प्रतिदिन बाबत संतोषजनक कारण अंकित किया जाना चाहिए। इस प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत मियाद के छूट के प्रार्थना पत्र में ऐसा कारण भी नहीं दिया गया है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर अपील को मियाद के बिन्दु पर ही निस्तारित करते हुए अपील खारिज की जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी के मियाद के बिन्दु पर दिये गये तर्कों पर गौर किया एवं इसी संबंध में माननीय उच्च न्यायालय एवं राज0 सरकार के दिशा निर्देशों एवं परिपत्रों में एवं आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 17 (1) में प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुसार प्रकरण की मेरिट पर विचार करना कानून एवं विधि की मांग होने से अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा बहस के दौरान मियाद अधिनियम की धारा–5 के तहत प्रस्तुत वास्तविक स्थिति के मध्येनजर प्रकरण प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा किया जाता है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत धारा–5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान अपील में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने के बाद उक्त संबंध में संबंधित विभिन्न विभागों से जानकारी चाही गई तो किसी भी विभाग के द्वारा अपीलार्थी को लाईसेंस नहीं देने बाबत आपत्ति प्रस्तुत नहीं की बल्कि सभी विभागों ने अपीलार्थी का चरित्र अच्छा एवं आर्थिक स्थिति अच्छी होना बताया। पुलिस अधीक्षक टोंक द्वारा भी अपीलार्थी को शस्त्र अनुज्ञा पत्र देने की भी अनुशंषा की है तहसीलदार उनियारा द्वारा भी अपीलार्थी को शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी करना उचित बताया। सभी विभागों से प्राप्त

रिपोर्ट अपीलार्थी के पक्ष में होने के बावजूद अपीलार्थी का शस्त्र अनुज्ञा का आवेदन पत्र निरस्त कर कानूनी भूल की है।

उनका यह भी तर्क है कि अपीलार्थी ग्राम फूलेता तहसील उनियारा का निवासी होकर एक काश्तकार है जो कृषि का कार्य करता है तथा रात दिन कृषि कार्य हेतु खेतों पर रहता है। अपीलार्थी के खेतों के आस–पास जंगली जानवरों का निवास रहता है जिससे जंगली जानवरों का किसी भी समय खेतों पर आ जाना संभव है। जिससे अपीलार्थी को आक्रामक जंगली जानवरों से उसकी जान का खतरा हमेशा बना रहता है। इस कारण आत्म रक्षा हेतु शस्त्र अनुज्ञा पत्र दिया जाना उचित था। जिला मजिस्ट्रेट टोंक द्वारा बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाये केवल मात्र कार्यालय पत्रावली पर कार्यवाही कर अपीलार्थी का शस्त्र अनुज्ञा पत्र का आवेदन पत्र निरस्त किया जिसमें अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने आयुद्ध अधिनियम की धरा 17(1) के प्रावधानों के विपरीत जाकर अपीलार्थी को विधिक नोटिस जारी किये बिना एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना आक्षेपित आदेश पारित किया है जो निरस्त योग्य है।

उनका यह भी तर्क है कि जिला मजिस्ट्रेट, टोंक द्वारा पारित आदेश दिनांक 8–7–2013 नोन स्पीकिंग आदेश की श्रेणी में आता है। अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश में किसी भी समुचित विधिक कारण का उल्लेख नहीं किया है जिससे अपीलार्थी का शस्त्र अनुज्ञा पत्र का प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाना उचित समझा जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 17(3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का सरसरी तौर पर बिना अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों को दरकिनार कर आवेदन पत्र निरस्त किया है। अपीलार्थी कभी भी अपने अनुज्ञा प्राप्त शस्त्र के द्वारा पब्लिक सुरक्षा एवं शांति भंग करने का कोई कृत्य नहीं करेगा जिस बाबत अधीनस्थ न्याालय में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया जा चुका है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, टोंक द्वारा पारित आदेश दिनांक 8–7–2013 निरस्त कर अपीलार्थी के पक्ष में शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी करने के आदेश प्रदान कराने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक की उक्त बहस का जवाब देते हुए विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि राज0 सरकार के दिशा निर्देशों एवं समय–समय पर जारी परिपत्रानुसार शस्त्र अनुज्ञापत्र धारी के चरित्र की सत्यापन रिपोर्ट एवं लाईसेंसधारी की पृष्ठ भूमि आपराधिक नहीं हो, के संबंध में पुलिस विभाग से रिपोर्ट लिये जाने के पश्चात अनुज्ञापत्र नवीनीकरण किये जाने का प्रावधान है। अपीलार्थी द्वारा अपने कथनों में स्वयं की आत्म सुरक्षा हेतु शस्त्र अनुज्ञा पत्र की आवश्यकता बताई तथा जंगली जानवरों से सुरक्षा हेतु शस्त्र की आवश्यकता है। अपीलार्थी को किस जंगली जानवर ने हमला किया तथा जिसके संबंध में किस थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है का कोई उल्लेख नहीं किया एवं न ही कोई दस्तावेज पेश किये है। अपीलार्थी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे उसकी जान को खतरा हो। ऐसी स्थिति में जिला

मजिस्ट्रेट, टोंक का आदेश दिनांक 08–07–2013 विधिसम्मत है। अतः अपीलार्थी की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

मैने दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर गंभीरतापूर्वक मनन किया तथा सम्बन्धित अभिलेख का गहनता से अध्ययन किया जिससे हमारे समक्ष यह तथ्य स्पष्ट होते है कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध जिला पुलिस अधीक्षक, टोंक, तहसीलदार, वन विभाग द्वारा अपीलार्थी को शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी करने की अनुशंषा तो की है किन्तु किसी भी विभाग ने अपनी रिपोर्ट में यह उल्लेख नहीं किया है कि अपीलार्थी को कृषि कार्य करने के दौरान जंगली जानवर से खतरा है तथा किस जंगली जानवर द्वारा अपीलार्थी पर हमला किया है। अपीलार्थी को किसी जंगली जानवर द्वारा हमला किये जाने की रिपोर्ट किसी भी थाने में दर्ज कराई हो ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन से यह परिलक्षित नहीं होता है कि अपीलार्थी को किसी भी प्रकार का जान व माल का कभी खतरा हुआ हो एवं कृषि कार्य करने के दौरान किसी जंगली जानवर ने हमला किया हो जिससे अपीलार्थी को किसी प्रकार की सुरक्षा की आवश्यकता हो। ऐसी स्थिति में जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, टोंक द्वारा पारित आदेश दिनांक 8–7–2013 द्वारा पारित आदेश सुरक्षा की दृष्टि से उचित एवं विधिसम्मत होने से उसमें किसी प्रकार से हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी की अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थी की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, टोंक का आदेश दिनांक 08–07–2013 विधिसम्मत होने से यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 06–02–2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भंवर लाल मेहरा)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर